कार्यालय मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड
59, जेल रोड, अरेरा हिल्स,भोपाल
मैन्युअल

1. राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड का गठन पूर्व में वाणिज्यिक कर विभाग के द्वितीय अपील के प्रकरणों जिनमें सुनवाई राजस्व मंडल ग्वालियर द्वारा की जाती थी, के स्थान पर भोपाल में वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड द्वारा किये जाने हेतु इस बोर्ड का गठन जनवरी 2003 में किया गया हैं।
मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली समस्त अपीलें, संदर्भ पुर्नस्थापना एवं विविध आवेदन पत्रों का निवर्तन संबंधित अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अनुरूप न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाकर किया जाता है।

2. मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग के परिपत्र क्र.–ए–2–4/2003/बी. का/पांच दिनांक 07.06.2003 द्वारा अपील बोर्ड के अध्यक्ष को मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड के विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है एवं दो सदस्यों की नियुक्ति अपील बोर्ड में प्रस्तुत होने वाली अपील, संदर्भ आदि के निराकरण हेतु की गई है।

3. मध्य प्रदेश शास, वा.क. मंत्रालय के आदेश क्रमांक–5–2–4/2003/वि.क./5पि दिनांक 25.04.03 द्वारा रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश वा.क. को कार्यालय प्रमुख तना आदेश क्रमांक– 5(6) 05.11.2003/1/5 दिनांक 10.03.03 द्वारा रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश वा. क. अधि. को आहरण एवं संवितरण अधिकारी घोषित किया गया है।

4. अपील बोर्ड के कार्यो के सुव्यस्थित संचालन हेतु मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्र. ए–3–52/2003/एक/पांच (20) दिनांक 04.04.05 से " मध्य प्रदेश वाणिज्कि कर अपील बोर्ड विनियम 2004 " का प्रकाशन किया गया है इसमें अध्यक्ष, सदस्यगण एवं रजिस्ट्रार के अधिकार शक्तियों एवं कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

5. विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल द्वारा दिनांक 10.08.10 द्वारा प्रकाशित म. प्र. अधिनियम कं. 10 सन 2010 म.प्र. वेट (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2010 प्रकाशित किया गया है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

6. मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र. एफ/ए 3–17–2010–11 पॉच (67), दिनांक 13.08.10 द्वारा म.प्र.वेट नियम 2006 संशोधन किया गया है। छायाप्रति संलग्न है।

7. कार्यालयीन आदेश क्र. वाकअबो/स्था/07/2095–96 दिनांक 12.11.10 द्वारा मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वय हेतु श्री डी. एस. माथुर, अध्यक्ष को अपीलीय प्राधिकारी, श्री व्ही. के. पाठक, रजिस्ट्रार को लोक सूचना अधिकारी एवं श्री निशान्त जैन, प्रभारी अधीक्षक को सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया है।

8. इस अपील बोर्ड की कार्य पद्धति न्यायिक स्वरूप है।

9. म. प्र. शासन वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश कं. एफ–6–ए/54/2010/1/पांच दिनांक 31.08.10 द्वारा मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड में दो अतिरिक्त सदस्यों के पद निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मध्य प्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक ए–2–4/2003/विक/5 भोपाल, दिनांक 07/जून/2003

प्रति,

1 शासन के समस्त विभाग,
2 अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर,
3 समस्त विभागाध्यक्ष,
4 समस्त संभागायुक्त,
5 समस्त कलेक्टर,
6 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्य प्रदेश।

विषयः– अध्यक्ष म.प्र. वाणिज्यिक कर अधिकरण भोपाल को विभागाध्यक्ष घोषित करने संबंधी।

––00––

राज्य शासन एतद् द्वारा अध्यक्ष, मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिकरण भोपाल को विभागाध्यक्ष घोषित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(जगदीश शर्मा)
उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन
वाणिजियक कर विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक ए–2–4/2003/विक/5 भोपाल दिनांक 7/जून/2003

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

1– रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश जबलपुर,

2– सचिव, लोकायुक्त, म.प्र. भोपाल,

3– सचिव, लोकसेवा आयोग म.प्र. इंदौर.

4– महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल,

5– राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल,

6– सचिव, विधान सभा सचिवालय, म.प्र. भोपाल.

7– प्रमुख सचिव / सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, म.प्र. भोपाल.

8– उप मुख्यमंत्री, मंत्री राज्य मंत्रीगण के निज सचिव, निज सहाय, म.प्र. भोपाल।

9– मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल।

10– सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल।

11– अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल।

12–महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर।

13– महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर

14– प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव / सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल

15– उप सचिव / अवर सचिव, स्थापना, अधीक्षण, अभिलेख, मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र. मंत्रालय, भोपाल,

16– मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, भोपाल

17– आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म.प्र. भोपाल,

18– कोषालय अधिकारी विन्ध्याचल कोषालय, भोपाल,

उपसंचालक
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ–भवन, भोपाल–462004
–:: आदेश::–

भोपाल दिनांक 29 दिसम्बर 2007

क्रमांक 6(ए) 29/2007/1/पाँच :: मध्य प्रदेश वेट अधिनियम 2002 की धारा–4 तथा उसके अन्तर्गत मध्य प्रदेश वेट नियम 2006 के नियम–4 में निहित प्रावधानानुसार राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री दिनेश शंकर माथुर, भा0प्र0से0 (1971) को अपील बोर्ड, मध्य प्रदेश में अध्यक्ष पद पर निम्नलिखित सेवा– शर्तें के अधीन नियुक्त करता है :–

1. अध्यक्ष के पद का कार्यकाल पाँच वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक रहेगा
2. सेवानिवृत्ति के पूर्व प्राप्त हो रही सभी सुविधायें, जैसे मकान, वाहन, यात्रा–भत्ता, चिकित्सा सुविधा, दूरभाष, छुट्टी, यात्रा रियायत, अवकाश आदि प्राप्त होती रहेंगी
3. सेवानिवृत्ति के पूर्व प्राप्त हो रहे वेतन में से पेंशन की राशि को कम करते हुये शेष राशि वेतन के रूप में देय होगी। इस वेतन राशि पर राज्य शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता देय होगा, किन्तु पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी
4. नियुक्ति पूर्णकालिक होने के कारण बोर्ड के अध्यक्ष अन्य कोई व्यवसाय, कार्य सेवा आदि नहीं कर सकेंगे
5. अन्य सेवा–शर्ते शासन की समस्त सामान्य सेवा–शर्ते के अनुरूप होंगी।

2/–उपरोक्त आदेश वर्तमान अध्यक्ष, अपील बोर्ड, म0प्र0 श्री सूरज प्रकाश, भा0प्र0से की सेवानिवृत्ति दिनांक से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(बी0पी0एस0परिहार)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश,शासन वाणिज्यिक कर विभाग

पृ0 क्रमांक 6(ए) 29/2007/1/पाँच भोपाल दिनांक 29 दिसम्बर 2007

प्रतिलिपि :–

1. महामहिम राज्यपाल के सचिव
2. माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन के सचिव
3. माननीय मंत्री जी, वाणिज्यिक कर के विशेष सहायक
4. माननीय राज्य मंत्री जी, वाणिज्यिक कर के निज सचिव
5. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश के अपर सचिव
6. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर

7. रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश अपील बोर्ड, भोपाल
8. आयुक्त, वाणिज्यिक कर मध्यप्रदेश इन्दौर
9. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशनार्थ
10. श्री दिनेश शंकर माथुर, भा0प्र0से0 (1971) सचिव, भारत सरकार, दूरसंचार विभाग, संचार सूचना एवं प्रोधोगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश, शासन वाणिज्यिक कर विभाग

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2004

क्र. एफ.ए.–13–22–89–विक–पाँच (11)– मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक–5, सन 1995) की धारा 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर नियम, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

''अपील बोर्ड का गठन और उसके कृत्य–(1) अपील बोर्ड, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये एक अध्यक्ष और दो सदस्यों से मिलकर बनेगा,

(2) (क) अपील बोर्ड का अध्यक्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा, मध्यप्रदेश संवर्ग का कोई सेवारत या सेवानिवृत्त ऐसा सदस्य होगा, जो कम से कम तीन वर्ष तक मध्यप्रदेश शासन में प्रमुख सचिव का पद या उसका समतुल्य पद धारण कर चुका हो.

(ख) अपील बोर्ड का एक सदस्य अधिवक्ता अधिनियम 1961 (1961 का सं. 25) के अर्थ के अंतर्गत ऐसा अधिवक्ता होगा या चार्टर्ड एकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 (1949 का सं. 38) के अर्थ के अंतर्गत ऐसा चार्टर्ड एकाउन्टेंट होगा, जिसे विक्रय कर, वाणिज्यिक कर या आयकर में कम से कम 10 वर्ष का विधि व्यवसाय/प्रेक्टिस करने का अनुभव हो,

(ग) अपील बोर्ड का अन्य सदस्य वाणिज्यिक कर विभाग के अपर आयुक्त या उपायुक्त रैंक का ऐसा अधिकारी होगा जो कम से कम 3 वर्ष तक उक्त पद पर धारण कर चुका हो,

(3) अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि सामान्यतः पाँच वर्ष होगी जो राज्य सरकार द्वारा ऐसी कालावधि तक के लिये बढ़ाई जा सकेगी जैसी कि वह उचित समझे, किन्तु अध्यक्ष के मामले में आयु 65 वर्ष तथा सदस्यों के मामले में 62

वर्ष से अधिक नहीं होगी, परन्तु अध्यक्ष और सदस्य राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे,

(4) अपील बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि राज्य सरकार, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करें।

(5) अपील बोर्ड का कोई सदस्य किसी भी समय पद से अपना त्यागपत्र दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाने की तारीख से प्रभावशील होगा।

(6) राज्य सरकार, अपील बोर्ड के अध्यक्ष या किसी सदस्य की नियुक्ति उसकी पदावधि की समाप्ति के पूर्व समाप्त कर सकेगी, यदि अध्यक्ष या सदस्य, –

(क) दिवालिया न्याय–निर्णीत हो गया हो, या

(ख) पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के अतिरिक्त कोई सवेतन नियोजन करता है, या

(ग) राज्य सरकार के मत में मानसिक या शारीरिक अशक्तता के कारण सेवा में बने रहने योग्य नहीं है, या

(घ) ऐसे अपराध जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित हो के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, या

(ड) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया जो, जिससे उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, या

(च) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया हो, जिससे पद पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो,

(7) अपील बोर्ड का मुख्यालय भोपाल में होगा।

(8)(क) अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपील बोर्ड के कृत्यों का निर्वहन, आसीन सदस्य/सदस्यों में से किसी भी सदस्य द्वारा एकल न्यायपीठ के रूप में या दो सदस्यों की न्यायपीठ के रूप में या पूर्ण न्यायपीठ के रूप में, जैसी कि अध्यक्ष द्वारा गठित की जाए, द्वारा किया जा सकेगा।

(ख) अध्यक्ष, लंबित मामले/कार्यवाही को एक न्यायपीठ से दूसरी न्यायपीठ को अंतरित करने हेतु सक्षम होगा।

(ग) आयुक्त के आदेश के विरूद्ध कोई अपील या तो अध्यक्ष द्वारा या अध्यक्ष और एक सदस्य से मिलकर बनने वाली न्यायपीठ द्वारा सुनी जाएगी या विनिश्चित की जाएगी।

(9) न्यायपीठ के दो सदस्यों के बीच मतभेद होने की दशा में, अपील की सुनवाई और उसका विनिश्चय पूर्ण न्यायपीठ द्वारा किया जाएगा, उस दशा में जहां कि अपील बोर्ड के किसी सदस्य का अपने समक्ष लंबित किसी मामले का विनिश्चय करने में, एकल सदस्य द्वारा या किसी न्यायपीठ द्वारा पारित किसी पूर्व निर्णय के बारे में मतभेद हो, तब मामले को पूर्ण न्यायपीठ को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(10)(क) राज्य सरकार, अपील बोर्ड को, अपने कृत्यों का निर्वहन करने में उसकी सहायता करने के लिए अपेक्षित अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रकृति और उनके प्रवर्ग अवधारित करेगी और अपील बोर्ड को ऐसे अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जैसा कि वह उचित समझे।

(ख) अपील बोर्ड के अधिकारी और अन्य कर्मचारी, अपील बोर्ड के अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

(ग) अपील बोर्ड के अधिकारीयों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्ते ऐसी होंगी, जैसी राज्य सरकार, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
जगदीश शर्मा, उपसचिव

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2004

क्र. ए—13—22—89—विक—पाँच—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक—ए—13—22—89—विक—पाँच (11), दिनांक 7 जुलाई 2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

जगदीश शर्मा, उपसचिव

Bhopal, the 7th July 2004

No. F.A-13-22-89-S.T.-V (11). - In exercise of the powers conferred by section 80 of the Madhya pradesh Vinijyik kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Vanijyik kar Niyam, 1995, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, for rule 4, the following rule shall be submitted, namely :-

"4. Constitution of the Appellate Board and its function.- (1) The appellate Board shall consist of a Chairman and two members, appointed by the State Government.

(2) (a) The Chairman of the Appillate Board shall be a serving of retired member of the Indian Administrative service of the Madhya Pradesh Cadre, who has held the post of Principal secretary of equivalent in the Government of Madhya Pradesh for atleast three years.

(b) One member of the Appellate Board shall be an advocate within the meaning of the Advocates Act, 1961 (25 of 1961) or a Charted Accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), who has experience of atleast ten years of practice in Sales Tax, Commercial Tax or Income Tax.

(c) The other member of the Appellate Board shall be an Officer of the rank of the Additional Commissioner of the Deputy Commissioner of the Commercial Tax Department, who has held the Post for atleast three Years.

(3) The tenure of the Chairman and members shall ordinarily be for five years which may be extended by the State Government by such period, as it may think fit, but shall not be beyond the age of 65 years in the case of the Chairman and 62 years in the case of members :

Provided that the Chairman and the members shall hold office during the pleasure of the State Government.

(4) The Salaries, allowances and other Conditions of service of the Chairman and members of the Appellate Board shall be such as the State Government may, by order, specify.

(5) A member of the Appellate Board may at any time tender his resignation from the post and such resignation shall take effedt from the date of its acceptance by the State Governmemt.

(6) The State Government may terminate before the expiry of the tenure, the appointment of the Chairman or a member of the Appellate Board, if the Chairman or the member -

(a) is adjudged as an insolvent; or
(b) is engaged during his term of office in any paid employment outside the duties of his office: or
(c) is in the opinion of the State Government,unfit to continue in office by reason of infirmity of mind of body:or
(d) is convicted of an offence invoiving moral turpitude: or
(e) has acuired such financial of other interest as is likely to affect prejudicially his functions:or
(f) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest.

(7) The head-quarters of the Appellate Board shall be at Bhopal.

(8) (a) The functions of the Appellate Board under the Act and the rules made thereunder may be discharged by any of the members sitting in single Bench, or in a Bench of two members or the Full Bench, as may be constituted by the Chairman.

(b) The Chairman shall be competent to transfer a pending case/proceeding from one Bench to another.

(c) An appeal against the order of the Commissioner shall be heard and decided either by the Chairman or by a bench consisting of the Chairman and a member.

(9) In the event of difference of opinion between two members of the bench, the appeal shall be heard and decided by the full bench. In case any member of the Appellate Board in deciding any case pending before him, has a difference of opinion about any earlier judgment passed by a single member or by a bench, then the case shall be referred to the full bench.

(10) (a) The State Government shall determine the nature and category of the officers and other employees reuired to assistant the Appelate Board in the discharge of its functions and provide the Appellate Board such officers and other employees, as it may think fit.

(b) The officers and other employees of the Appellate Board shall discharge their functions under the general superintendence of the Chairman.

(c) The salaries, allowances and conditions of service of the officers and other employees of the Appellate Board shall be such as the State Government may, by order, specify."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
JAGDISH SHARMA, Dy. Secy.

मध्य प्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

: : आदेश : :

क्रमांक ए–2–4/2003/विक/5 भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल/2003

राज्य शासन एतद् द्वारा रजिस्ट्रार म.प्र. वाणिज्यिक कर अधिकरण भोपाल को म.प्र. बुक ऑफ फायनेशियल पावर्स 1995 भाग–एक के सेक्शन–1 के सरल क्रमांक–3 के अंतर्गत कार्यालय प्रमुख घोषित किया जाता है।

मध्य प्रदश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डी.डी. अग्रवाल)
उप सचिव
म.प्र.शासनए वाणिज्यिक कर विभाग

पृ.क्र.ए–2–4/2003/विक/5 भोपालए दिनांक 25 अप्रैल 2003

प्रतिलिपि :–

1/ महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर। कृपया रजिस्ट्रार म.प्र. ग्वालियर अधिकरण भोपाल।
2/ प्रमुख सचिव म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल
3/ अध्यक्ष म.प्र. वाणिज्यिक कर अधिकरण भोपाल
4/ आयुक्त वाणिज्यिक कर म.प्र. इंदौर
5/ माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री जी वाणिज्यिक कर के निज सचिव
6/ रजिस्ट्रार म.प्र. वाणिज्यिक कर अधिकरण भोपाल
7/ संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल संभाग क्रमांक–2 भोपाल
8/ कोषायलय अधिकारी वल्लभ भवन, भोपाल

उप सचिव
म.प्र.शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग

मध्य प्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल — 462004

: : आदेश : :

क्रमांक ए—6(ए)/11/2003/1/5 भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2003

राज्य शासन एतद् द्वारा रजिस्ट्रार म.प्र. वाणिज्यिक कर अधिकरण भोपाल को म.प्र. बुक ऑफ फायनेशियल पावर्स 1995 भाग—एक के सेक्शन—1 के सरल क्रमांक—3 और 5 के अंतर्गत आहरण एवं संवितरण अधिकारी घोषित किया जाता है।

मध्य प्रदश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.एच. पचोरी)
अवर सचिव
म.प्र.शासन, वाणिज्यिक कर विभाग

पृ.क्र.ए—6(ए)/11/2003/1/5 भोपालए दिनांक 10 मार्च 2003
प्रतिलिपि :—

1/ महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर कृपया रजिस्ट्रार म.प्र. वाणिज्यिक कर अधिकरण, भोपाल को आहरण एवं संवितरण अधिकार प्रदत्त करने हेतु कोषालय अधिकारी वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल को निर्देश देने का कष्ट करें।
2/ अध्यक्ष म.प्र. वाणिज्यिक कर अधिकरण भोपाल
3/ आयुक्त वाणिज्यिक कर म.प्र. इंदौर
4/ संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, भोपाल संभाग 1,2 भोपाल
5/ माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री जी वाणिज्यिक कर के निज सचिव
6/ रजिस्ट्रार म.प्र. वाणिज्यिक कर अधिकरण भोपाल
7/ स्टाक फाइल.

(आर.एच. पचोरी)
अवर सचिव
म.प्र.शासन, वाणिज्यिक कर विभाग